



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर

Fax/Ph No.-0145-264454/2644552 E-mail-seplanavvn2018@gmail.com website - www.avvnl.com

क्र. अविनिनिलि/अधी.अभि.(यो)/अधि.अभि.(योजना)/सहा.अभि.(आर.ई.)/अज/ फा. आर.ई. /2018-19/प्रे. दि 3588

1-11-18

स्पष्टीकरण

विषय:- कृषि कनेक्शन नीति-2017 में बिन्दु संख्या 18.3.4.1 एवं 18.3.4.2 के संबंध में।

कृषि कनेक्शन नीति-2017 में बिन्दु संख्या 18.3.4.1 एवं 18.3.4.2 में अनुच्छेद 18.2.4 के मीटर्ड एवं फ्लेट रेट उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि लेने के प्रावधान में वर्णित अन्य उच्च श्रेणी उपयोग किया गया भार से पूर्व टाईपिंग की त्रुटि के कारण + चिन्ह अंकित करना रह गया।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषि कनेक्शन नीति-2017 में बिन्दु संख्या 18.3.4.1 में अनुच्छेद 18.2.4 के मीटर्ड रेट उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जायेगी:-

18.3.4.1 अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किये गये भार की आनुपाति युनिट्स x 2 x विद्युत दर (अन्य उच्च श्रेणी) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 2 माह के लिये + अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किया गया भार x 2 x स्थाई प्रभार (अन्य उच्च श्रेणी) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 2 माह के लिये।

एवं कृषि कनेक्शन नीति-2017 में बिन्दु संख्या 18.3.4.2 में अनुच्छेद 18.2.4 के फ्लेट रेट उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:-

18.3.4.2 अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किया गया भार x 2 x कृषि विद्युत दर (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 2 माह के लिये + अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किया गया भार x 2 x स्थाई प्रभार (अन्य उच्च श्रेणी) पूर्व निरीक्षण से अथवा अधिकतम 2 माह के लिये।

(ई. वी.पी. सिंह)

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

अविनिनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- 2 सलाहकार (मानिट्रिंग), माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 अध्यक्ष डिरकॉम जयपुर।
- 4 प्रबंध निदेशक, जयपुर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर।
- 5 अति./मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/एम.एम. /ट्रेनिंग एवं सुरक्षा सीएसएस/पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू
- 6 मुख्य लेखाधिकारी (ए.एण्ड.आर./ई वी टी./ आई.ए.-डब्ल्यू. एण्ड एम.), अजमेर डिरकॉम, अजमेर।
- 7 सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 9 अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम./टी.डब्ल्यू./एम.एण्ड.पी./वाणिज्य/डी.डी.यू.जी.जे.वाय./सर्तकता), अविनिनिलि अजमेर।
- 10 अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, निगम वेबपोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- 11 अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/ ए.सी.सी./ए.डी.सी./भीलवाडा/नागौर/झुंझुनू/सीकर/बांसवाडा/झुंझुनू/चित्तौड़गढ़ /प्रतापगढ़/राजसमन्द/उदयपुर।
- 12 कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 13 प्रावधिक सहायक-माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
- 14 प्रावधिक-सहायक, प्रबंध निदेशक अजमेर डिरकॉम, अजमेर।
- 15 प्रावधिक-सहायक, निदेशक (तकनीकी), अजमेर डिरकॉम, अजमेर।
- 16 अधिशापी अभियन्ता (ग्रिडनेसेज/लीगल), अविनिनिलि, अजमेर
- 17 अधिशापी अभियन्ता (.....) अविनिनिलि,.....
- 18 सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु।
- 19 सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 20 निजी सचिव, निदेशक (वित्त), अविनिनिलि, अजमेर
- 21 प्रबंधक, टी.पी.ए.डी.एल, डिरकॉम/डिस्ट्रीब्यूशन फेचवाईजी (अजमेर सिटी) वेशाली नगर, अजमेर।

SE (T), AVINL, Ajmer

RR No. 2382 Date 6/11/2018
Section.....

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)